भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .623
जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है
राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण

623. श्री राजीव प्रताप रूडी:
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण की जानकारी है, जिसके कारण प्रायः घातक दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एनएचएआई ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या बिहार सहित पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की खबरें आई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ.) क्या बिहार में एनएच-31 और एनएच-722 पर राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) जी हाँ। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर/के साथ शहरी भवनों का निर्माण (रिबन विकास), अनधिकृत पार्किंग और अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में, सरकार ने राज्य सरकार की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार पर अतिक्रमण की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए उपाय किए हैं। इस प्रयास में नागरिकों को शामिल करने के लिए, सरकार ने " राजमार्गयात्रा " मोबाइल एप्लिकेशन में एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे प्रयोक्ता राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कब्जे की जानकारी दे सकते हैं। यह सुविधा न केवल प्रयोक्ताओं को ऐसी घटनाओं को चिह्नित करने को सशक्त करती है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का भी कार्य करती है।

बिहार राज्य सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से ऐसे अतिक्रमण/ अनधिकृत कब्ज़ों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है । इस संबंध में, सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय राजस्व और पुलिस प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनाधिकृत कब्ज़ों को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के तहत अधिसूचित संबंधित राजमार्ग प्रशासनों की सहायता प्रदान की जा सके। अतिक्रमण के कारण होने वाली घातक दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी शून्य है। अनाधिकृत कब्ज़ों को हटाने का राज्य वार विवरण अनुबंध-। में संलग्न है।

(ड.) जी हां। एनएच-31 और एनएच-722 पर अतिक्रमण की पहचान की गई है और पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 410 अतिक्रमण/ अनधिकृत कब्जे हटाए गए हैं।

अनुबंध

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण' के संबंध में श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 623 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र .सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	18 मार्च 2024 से 31 अगस्त 2024 तक हटाए गए अतिक्रमणों /अनधिकृत कब्ज़ों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	215
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	240
4	बिहार	218
5	छत्तीसगढ	308
6	दिल्ली-एनसीआर	92
7	गुजरात	1153
8	हरियाणा	3
9	पंजाब	
10	हिमाचल प्रदेश	44
11	झारखंड	1
12	कर्नाटक	391
13	केरल	86
14	मध्य प्रदेश	1866
15	महाराष्ट्र	1062
16	मणिपुर	0
17	मेघालय	46
18	मिजोरम	0
19	नगालैंड	4
20	ओडिशा	44
21	राजस्थान	1025
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	1426
24	तेलंगाना	394
25	त्रिपुरा	5
26	उत्तर प्रदेश	174
27	उत्तराखंड	126
28	पश्चिम बंगाल	220
29	जम्मू और कश्मीर	91
	कुल	9234

****